राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर।

"ए" ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर–302005

क्रमांकः एफ.4(ई)(1)(6)/नियुक्ति/अलेसे–III/पार्ट–III/5396 जयपुर दिनांक :29/04/2020

अनुसंधान अधिकारी,
विज्ञान एवं प्रोद्यौगिकी विभाग,
क्षेत्रीय कार्यालय, जोधपुर।

विषय :– गरिमा भटट् को कनिष्ठ लेखाकार के पद पर पुनः कार्यग्रहण कराने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि गरिमा भटट्, कनिष्ठ लेखाकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर की खण्डपीठ में डी.बी. स्पेशल अपील संख्या 211/2020 दायर की गई है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के अन्तरिम आदेश दिनांक 05.03.2020 **(प्रति संलग्न)** के अनुसार निदेशालय द्वारा उनको कनिष्ठ लेखाकार के पद से कार्यमुक्ति के आदेश पर स्थगन प्रदान किया गया है तथा निर्देशित किया गया है कि तहसील राजस्व लेखाकार के पद पर कार्यग्रहण करने वाले व्यक्ति तहसील राजस्व लेखाकार पद पर ही कार्यरत रहेगें।

अतः माननीय उच्च न्यायालय के उक्त अन्तरिम आदेश दिनांक 05.03.2020 की पालना में यदि अपीलार्थी गरिमा भटट् द्वारा तहसील राजस्व लेखाकार के पद पर कार्यग्रहण नही किया गया है तो उक्त डी.बी. स्पेशल अपील संख्या 211/2020 में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय/आदेश के अध्यधीन गरिमा भटट् को अपने कार्यालय में कनिष्ठ लेखाकार के पद पर पुनः कार्यग्रहण करवाकर इस विभाग को कार्यग्रहण रिपोर्ट भिजवाने का श्रम करावें।

कृपया माननीय उच्च न्यायालय के उक्त अन्तरिम आदेश दिनांक 05.03.2020 की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करावे।

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांकः एफ.4(ई)(1)(6)/नियुक्ति/अलेसे–III/पार्ट–III/5397-98 जयपुर दिनांक : 29/04/2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित है।

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रकरण में कार्योन्तर स्वीकृति प्रदान करने हेतु।
2. गरिमा भटट्, कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय अनुसंधान अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, विज्ञान एवं प्रोद्यौगिकी विभाग, जोधपुर को प्रेषित कर लेख है कि यदि उन्होने अभी तक तहसील राजस्व लेखाकार के पद पर कार्यग्रहण नही किया है तो ही क.ले. पद पर कार्यग्रहण कर कार्यग्रहण रिपोर्ट विभाग को प्रेषित करावें।

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–III)

Scanned with CamScanner